मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम (GMVN) लि0 देहरादून द्वारा जाखन नदी लॉट नं–13/2 में लघु लवणों के संग्रहण के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 02.09.2014 (अपरान्ह 2.00 बजे) स्थान राजकीय प्राथमिक विद्यालय, लाल तप्पड़, समीप फनवैली, जाखन नदी के पास, जनपद देहरादून का कार्यवृत्त।

मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा जाखन नदी लॉट नं–13/2 में लघु लवणों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अधिसूचना–2006 के अतर्गत आच्छादित है। उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आख्या, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना–1994 यथासंशोधित के अनुसार तैयार की गयी है तथा लोक सुनवाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2009 के अनुसार की गयी है।

दिनांक 30.06.2014 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), देहरादून श्री प्रताप सिंह शाह, की अध्यक्षता में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, लाल तप्पड़, समीप फनवैली, जाखन नदी के पास, जनपद देहरादून में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में श्री सुभाष पंवार (अ0 अभियन्ता) व श्री सुनील डबराल (अनु0 सहा0) उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अपरान्ह 2.00 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि श्री सुभाष पंवार (अ0 अभियन्ता) द्वारा लोक सुनवाई के आयोजन के उद्देश्य के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया और कहा गया कि उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा जाखन नदी में लघु लवणों के संग्रहण/एकत्रण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की अधिसूचना सितम्बर–2006 यथा संशोधित के अनुसार परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का प्राविधान है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण व टाईम्स ऑफ इण्डिया के दिनांक 26.06.2014 व संशोधित तिथि 02.09.2014 के अंक में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण द्वारा इस परियोजना के कियान्वयन से पूर्व सुझाव आपत्ति, टीप टिप्पणी आपेक्ष मांगे गये थे। यदि स्थानीय लोगों की परियोजना के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव हैं तो उनको इस लोक सुनवाई के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा, उनके द्वारा जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि विचार, सुझाव परियोजना के पक्ष में अथवा विपक्ष में इस मंच के माध्यम से आमंत्रित हैं, जिनकी अनवरत वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी

भी की जायेगी। मंच के माध्यम से आप सभी के महत्वपूर्ण विचार इस परियोजना के कियान्वयन हेतु एक निर्णायक भूमिका की अभिव्यक्ति होगी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह शाह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपत्ति एवं सुझाव हैं उन्हें मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करें, जिनको मिनिट्स में सम्मिलित कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किया जायेगा।

इस अनुक्रम में मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम के परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि श्री विवेक कुमार द्वारा परियोजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी गयी एवं अवगत कराया गया कि परियोजना का कुल क्षेत्रफल 92.65 है0 है। जो कि ग्राम माजरीग्रांट, तहसील ऋषिकेश एवं देहरादून, जिला देहरादून में स्थित है। उक्त परियोजना पूर्णतः सरकारी भूमि पर प्रस्तावित है। जिसे राज्य सरकार द्वारा गढ़वाल मण्डल विकास निगम को लीज पर दिया गया है। परियोजना हेतु किसी प्रकार की निजी भूमि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बोल्डर, बालू व बजरी का चुगान/खनन किया जाना है जिनका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। नदी में लघु लवणों के इकट्ठे होने की वजह से नदी अपना मार्ग बदल देती है, एवं चुगान न होने से बरसात में भूमि कटाव होता है, जिससे कि कृषि योग्य भूमि के साथ–साथ सड़कों/मार्गों को नुकसान पहुँचता है। खनन कार्य को वैज्ञानिक तरीके से किये जाने पर भूमि कटाव की रोकथाम के साथ–साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे एवं खनिज के दामों में भी कमी आयेगी। परियोजना से लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होनें यह भी कहा कि इस परियोजना से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। इस परियोजना में नदी के तटों से 15 प्रतिशत भाग को छोड़कर लघु लवणों का संग्रहण किया जायेगा, उनके द्वारा अपनी प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि 1.5 मीटर गहराई तक रेत, बजरी, बालू का संग्रहण किया जायेगा और संग्रहण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जायेगा तथा संग्रहण कार्य पूर्णतया मैनुअल किया जायेगा जिसमें कोई हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा। यह परियोजना पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से की जायेगी। श्री विवेक कुमार द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) बनायी गयी है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़कों पर जल छिड़काव एवं समय–समय पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कर तदानुसार पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बनायी जायेगी। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुश्रवण हेतु पर्यावरणीय सुरक्षा दल का गठन किया जायेगा। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना हेतु अलग से रू0 6.81 लाख के वार्षिक बजट का प्राविधान किया गया है, जिसका उपयोग जल छिड़काव, सड़कों की मरम्मत एवं वृक्षारोपण आदि कार्यो में किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. **श्रीमती किरन पाल (ग्राम प्रधान), निवासी माजरीग्रांट** लोकसुनवाई का स्वागत किया गया और नदियों में खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी कहा गया कि नदियां खुलने से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि वैज्ञानिक व सुनियोजित तरीके से खनन किया जाए, जिससे नदी के किनारें का कटाव नहीं होगा, जिससे बाढ़ आदि का खतरा भी नहीं होगा।

2. **श्री अनिल पाल, निवासी** द्वारा खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी और कहा गया कि खनन होने से गरीब वर्ग को रोजगार मिलेगा, बाढ़ से खेती की भूमि का कटाव भी नहीं होगा। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन कार्य में कार्यरत मजदूरों/श्रमिकों के लिये पानी एवं शौचालय की व्यवस्था की जाये तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिये कच्चे शौचालयों का निर्माण किया जाये। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा कहा गया कि ग्रामवासियों को खनन सामग्री निशुल्क दिये जाने का प्राविधान होना चाहिए।

3. **श्री इन्द्रपाल सिंह, निवासी माजरीग्रांट** द्वारा खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी और कहा गया कि खनन न होने से ग्रामवासियों की खेती की जमीन का कटाव हो गया है तथा जाखन पुल के नीचे 30–40 फिट के गड्डे हो गये हैं। इसके लिये नदियों की सफाई/खनन होना बहुत ही अनिवार्य है। उनके द्वारा कहा गया कि नदियों में खनन कार्य वैज्ञानिक तरीके से किया जाये। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन माफियाओं द्वारा अवैध खनन सामग्री का भण्डारण कर लिया जाता है, इसकी निगरानी के लिये गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा समिति का गठन किया जाये, जो इसकी निगरानी कर सके। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा कहा गया कि खनन का लाभ किसी एक व्यक्ति को न मिलकर पूरी ग्राम सभा के हर व्यक्ति को इसका लाभ मिलना चाहिए।

4. **श्री जगदीश प्रसाद (पूर्व ग्राम प्रधान) निवासी माजरीग्रांट** द्वारा कहा गया कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा खनन कार्य किये जाने का समर्थन करते हैं। उनके द्वारा कहा गया कि खनन कार्य में बड़ी–बड़ी मशीनों का प्रयोग न किया जाये, बल्कि मजदूरों द्वारा ही खनन कार्य किया जाए। इसके अतिरिक्त नदी की दोनों सीमाओं का सीमांकन होना चाहिए तथा ग्रामवासियों की निजी भूमि पर खनन न किया जाए। उनके द्वारा पूछा गया कि क्या बाढ़ के कारण जिन ग्रामीणों का नुकसान हुआ है, उन्हें मुवावजा मिलेगा? क्या माजरीग्रांट की गरीब जनता को मकान निर्माण हेतु खनन सामग्री में रियायत मिलेगी?

5. **श्री विजय गुलारी, निवासी माजरी ग्रांट** द्वारा कहा गया कि जन प्रतिनिधियों की एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए, जिसके पास सारे अधिकार होने चाहिए, जिससे ठेकेदारों और ग्रामीणों के बीच झगड़े आदि होने पर समाधान किया जा सके तथा गलत अथवा अवैध खनन होने पर ठेकेदार पर पैनल्टी लगाये जाने का भी प्राविधान होना चाहिए।

6. **श्री राधे पाल, निवासी माजरीग्रांट** द्वारा लोकसुनवाई का स्वागत किया गया और कहा गया कि माजरीग्रांट की नदी में खनन खुलना चाहिए। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ही खनन कार्य किया जाना चाहिए। उनके द्वारा पूछा गया कि बाढ़ से जो जमीनें बह गयी हैं, क्या उसका मुआवजा मिलेगा?

7. **श्री रविन्द्र सिंह, निवासी माजरी ग्रांट** द्वारा खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी और पूछा गया कि क्या ग्रामवासियों को मकान निर्माण आदि हेतु खनन सामग्री में छूट मिलेगी?

8. **श्री दलबीर सिंह, निवासी बालकुवांरी** लोकसुनवाई का स्वागत किया गया और कहा गया कि अवैध खनन होने पर कैसे रोक लगायी जाये, क्योंकि ग्रामवासियों द्वारा प्रयास करने पर हम लोग स्वयं फंस जाते हैं। इसलिये अवैध खनन पर सख्ती से कार्यवाही की जाए। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि ग्रामवासियों की एक समिति गठित की जाएगी, जिसके पास सभी अधिकार होने चाहिएं, जिनकी अवैध खनन सम्बन्धित सूचना पर विभाग/गढ़वाल मण्डल द्वारा त्वरित कार्यवाही करे।

अपर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त खनन कार्य राज्य सरकार की भूमि से किया जायेगा एवं खनन कार्य शुरू होने से पूर्व खनन क्षेत्र का सीमांकन किया जाएगा। खनन का कार्य अग्रतर बोली के माध्यम से स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दिये जाने का प्राविधान है। राज्य सरकार की खनन नीति के अनुसार खनन कार्य से प्राप्त लाभांश के 5 प्रतिशत भाग को खनिज विकास निधि के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों के विकास कार्यों में व्यय किया जायेगा। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा खनिज सामग्री में छूट दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय निवासियों के भवन एवं सामाजिक कार्यों हेतु खनिज सामग्री में राज्य सरकार खनिज नीति में कोई प्राविधान नहीं है। ग्रामीण एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधि राज्य सरकार के स्तर पर खनिज सामाग्री स्वयं के उपयोग हेतु छूट के प्राविधान की मांग कर सकते हैं।

अन्त में उक्त आपत्तियों के अनुकम में जीएमवीएन के प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त सुझावों के अनुकम में अवगत कराया गया कि खनन कार्य राज्य सरकार की भूमि पर किया जाना है। किसी निजी भूमि पर खनन कार्य नहीं किया जायेगा। प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया

कि राज्य सरकार की खनिज नीति के अनुसार स्थानीय निवासियों को खनिज पट्टे अन्तरित किये जाने की प्राथमिकता का प्राविधान है। खनन कार्य के दौरान माल वाहक वाहनों के परिवहन हेतु वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जायेगी एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय ग्रामीणों के विकास हेतु कारपोरेट सोश्यिल रिस्पोंस्बिलिटी (CSR) के अन्तर्गत खनन कार्य से प्राप्त लाभांश का कुछ भाग विभिन्न सामाजिक विकास कार्य में व्यय किये जाने का भी प्राविधान है। स्थानीय स्तर पर खनन कार्य होने से स्थानीय रोजगार उपलब्ध होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि खनन कार्य न होने के कारण नदी का वास्तविक स्वरूप बदल जायेगा और नदी जंगल एवं कृषि भूमि का कटाव करेगी इसलिये नदी का चुगान वैज्ञानिक तरीके से करना अति आवश्यक है। परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय लोगों की सहभागिता का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाये जिससे पर्यावरणीय क्षति न हो। अन्त में सभा में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा हाथ खड़े कर खनन कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गयी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति के द्वारा समापन की घोषणा की गयी है। जन सुनवाई की कार्यवाही की फोटाग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी है।

संलग्नक–

1. फोटो – 03
2. डी0वी0डी0 – 03
3. उपस्थिति पंजिका – 03

(सुनील डबराल)
अनु0 सहा0

(सुभाष पंवार)
अ0 अभियन्ता

(प्रताप सिंह शाह)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
देहरादून

जाखन नदी के लॉट नं. 13/2 में चुगान / खनन हेतु दिनांक 02/09/2014 अपराह्न 2.00 बजे स्थान राजकीय प्राथमिक विद्यालय, लाल तप्पड़, समीप माजरी ग्रान्ट, जाखन नदी के पास, देहरादून में चुगान / खनन हेतु पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई में उपस्थित मा० जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति की पंजिका –

क्रम सं०	नाम व पद	पता	सम्पर्क सूत्र	हस्ताक्षर
(1)	श्री प्रताप सिंह शाह (Admn.)	जिला प्रशासन, देहरादून	9756665566	[illegible]
(2)	श्री सुभाष पंवार (अधि० अभि०)	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून	9410393545	[illegible]
(3)	श्री सुनील डबराल (अनु० सहा०)	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून	9634858020	[illegible]
4	डी. एम. नेगी	ग्रा० नि० वि० लि०		[illegible]
5	Ashu Pals	Resham Majri	7895577665	[illegible]
6	Mohan Singh	Resham Majri	9756705282	[illegible]
7	Radhe pal	Resham Majri	8126801407	Radhe
8	परसराम			[illegible]
9	J P SAINI	माजरी ग्रान्ट		J P S
10	Rajendra Singh	Lal tappan	9720467846	Singh
11	Dalveer Singh	Balkuwari	9758515986	DS Mehta
12	Jagwinder Singh	Jeevanwala	7533935506	[illegible]
13	Gurjeet Singh	Jeevanwala	9719115344	[illegible]
14	Rajiv Pal	Resham Majri	9808005097	राजीव
15	संजय कुमार	रेशम माजरी	9012243524	संजय कुमार
16	Ajay Pal	"	9758971223	[illegible]
17	Sandeep Pal	"	9719607793	[illegible]

18	कमलवर्धन	रैरवाम माजरी ग्रांट	9720993291	[illegible]
19	सौरभ कुमार	रैखाम माजरी ग्रांट	8958573418	[illegible]
20	कान्तीराम	लालतप्पड़		[illegible]
21	शेरसिंह	लालतप्पड़	9837867[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	9859[illegible]66	[illegible]
23	किरन पाल (ग्राम प्रधान)	माजरीग्रांट	9411529221	[illegible]
24	अनिल पाल	माजरी ग्रान्ट	8057115221	[illegible]
25	दिनेश कुमार	चान्दी (माजरीग्रान्ट)	9627306938	[illegible]
26	Indrapal Singh	रैखाम माजरी	9568499476	[illegible]
27	मंगल सिंह	रैखाम माजरी	9634900720	[illegible]
28	[illegible]	नगर पंचायत डोईवाला	9719836625	[illegible]
29	करमीर सिंह	रैखाम माजरी II	9639303093	[illegible]
30	सुरेन्द्र कुमार	चान्दी प्लान्टेशन	9720094616	[illegible]
31	[illegible]	[illegible]	8937050048	[illegible]
32	[illegible]	माजरीग्रान्ट	9536715549	[illegible]
33	[illegible]	लाल तप्पड़	8958042172	[illegible]
34	Kishan lal पूर्व ग्राम प्रधान लालतप्पड़ lal tappar		9761352199	[illegible]
35	[illegible]			
36	K.S. Kalura	G.M.V.N. Ltd	9411137392	[illegible]
37	पुरुषोत्तम	लालतप्पड़	8193926491	[illegible]
38	देवीदास	लालतप्पड़		[illegible]
39	राजेश्वर	लालतप्पड़	9690899957	Rajesh
40	सर्वेश कुमार शर्मा	फतेहपुर टांडा	9897459949	सर्वेश
41	जितेन्द्र सिंह	लालतप्पड़ माजरी	8193979594	जितेन्द्र
42	पप्पू	लालतप्पड़	9897655642	Pappu
43	कार्तिक	लालतप्पड़	8755759401	कार्तिक
44	रूपकिशोर	लाल तप्पड़	8006092286	Roopkishor
45	आरती रावत	लाल तप्पड़		आरती
46	सुमन वर्मा	लाल तप्पड़	8958242635	सुमन
47	उर्वशी वर्मा	लालतप्पड़	8958242635	उर्वशी
48	पूनम	लालतप्पड़	9548591152	पूनम

	~~आलिम~~ कविता	लालतप्पड़	9690389972	कविता
50	अनीता सिंह पत्नी	जीवनलाला	9897010669.	
51	आनन्द पाण्डेय	लालतप्पड़ भारती ग्र०	9764443389	
52	Subhash Kumar	Lal Tappar	8958484527	[signature]